मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 2 मई 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. वित्तीय समावेशन	3
III. विदेशी मुद्रा	4
IV. सरकार का बैंकर	4
V. भुगतान और निपटान प्रणाली	4
VI. केन्द्रीय बोर्ड की बैठक	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका मई माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

समाधान ढांचा 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसाय

हाल के सप्ताहों में भारत में कोविड-19 महामारी का फिर से उभरना और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए परिणामी रोकथाम उपायों से बहाली की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और नई अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए संभावित दबाव को कम करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मई 2021 को निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:

व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए अग्रिमों का समाधान

❑ उधारदाता संस्थाओं को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों को अपने ऋण एक्सपोजर के संबंध में समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए इन्हें नीचे विर्दिष्ट शर्तों के अधीन मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए समाधान योजनाओं को लागू करने के लिए एक सीमित सुविधा प्रदान करने की अनुमति है।

❑ उधारदाता संस्थाओं द्वारा लागू किए जाने वाले समाधान के अवसर के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ता योग्य होंगे :

i) अपने स्वयं के कर्मियों/ स्टाफ को उधारदाता संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को छोड़कर ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठाया है (जैसा कि 'एक्सबीआरएल विवरणी – बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाना' विषय पर 04 जनवरी 2018 को जारी परिपत्र में परिभाषित किया गया है)।

ii) जिन व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिमों का लाभ उठाया है और जिनपर 31 मार्च 2021 तक उधारदाता संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

iii) 31 मार्च 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के अलावा खुदरा और थोक व्यापार में लगे कारोबारियों सहित छोटे व्यवसाय जिनपर 31 मार्च 2021 तक उधारदाता संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

❑ इस परिपत्र की शर्तों के उल्लंघन में लागू की गई कोई भी समाधान योजना 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा ("विवेकपूर्ण ढांचा") द्वारा या जहां विवेकपूर्ण ढांचा लागू नहीं है, ऐसी उधारदाता संस्थाओं की विशिष्ट श्रेणी पर लागू प्रासंगिक निर्देश द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित की जाएगी।

समाधान प्रक्रिया का सक्रिय किया जाना

❑ उधारदाता संस्थाएं इस ढांचे के अंतर्गत योग्य उधारकर्ताओं के लिए व्यवहार्य समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीतियां यथाशीघ्र (इस परिपत्र की तिथि से चार सप्ताह के भीतर) तैयार करेंगी, तथा वे यह सुनिश्चित करेंगी कि इस सुविधा के अंतर्गत समाधान केवल कोविड-19 के कारण दबावग्रस्त उधारकर्ताओं को प्रदान किया जाए।

❑ इस सुविधा के तहत अनुमत समाधान के प्रारंभ होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है।

समाधान योजनाओं और कार्यान्वयन की अनुमत सुविधाएँ

❑ इस सुविधा के तहत लागू की गई समाधान योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ भुगतानों का पुनर्निर्धारण, अर्जित हुए या होने वाले किसी भी ब्याज का किसी अन्य क्रेडिट सुविधा में रूपांतरण, कार्यशील पूंजी सीमाओं में संशोधन, उधारकर्ता के आय के माध्यमों के आकलन के आधार पर स्थगन इत्यादि देना शामिल हैं।

❑ स्थगन अवधि, यदि दी गई है, तो अधिकतम दो वर्ष हो सकती है, और समाधान योजना के कार्यान्वयन के तुरंत बाद लागू होगी।

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

❑ यदि इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समाधान योजना को लागू किया जाता है, तो मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए उधारकर्ताओं के खातों के आस्ति वर्गीकरण को कार्यान्वयन पर उसी रूप में रखा जा सकता है, जबकि उधारकर्ताओं के खाते जो कि प्रारंभ और कार्यान्वयन के बीच एनपीए में परिवर्तित हुए होंगे वह समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख को मानक के रूप में अपग्रेड किए जा सकते हैं।

❑ इस तरह के एक्सपोज़र के बाद के आस्ति वर्गीकरण को दिनांक 1 जुलाई 2015 को 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड' पर मास्टर परिपत्र में निर्धारित मानदंडों या उधारदाता संस्थाओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए लागू प्रासंगिक अनुदेश ("मौजूदा आईआरएसी मानदंड") द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

प्रकटीकरण और क्रेडिट रिपोर्टिंग

तिमाही वित्तीय विवरण प्रकाशित करने वाली उधारदाता संस्थाएं, कम से कम, 30 सितंबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए अपने वित्तीय विवरणों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार खुलासे करेंगी।

कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

संकल्प ढांचा 2.0 – एमएसएमई

कोविड-19 महामारी के बढ़ने से उत्पन्न अनिश्चितता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 05 मई 2021 को, दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में दी गई सुविधा को निम्न शर्तों के अधीन आस्ति वर्गीकरण में अवनति के बिना वर्तमान ऋणों के पुनर्गठन के लिए बढ़ाया:

❑ दिनांक 26 जून 2020 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119(ई)के अनुसार उधारकर्ता को 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम रूप में वर्गीकृत होना चाहिए।

❑ उधार लेने वाली इकाई पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख को जीएसटी-पंजीकृत होनी चाहिए। तथापि, यह शर्त ऐसे एमएसएमई पर लागू नहीं होगी जिसे जीएसटी-पंजीकरण से छूट प्राप्त हैं।

❑ उधारकर्ता के प्रति सभी उधारदाता संस्थाओं का कुल ऋण एक्सपोजर, गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹25 करोड़ से अधिक न हो।

❑ 31 मार्च 2021 के अनुसार उधारकर्ता का खाता एक 'मानक आस्ति' था।

❑ उधारकर्ता के खाते को दिनांक 6 अगस्त 2020: दिनांक 11 फरवरी 2020; या दिनांक 1 जनवरी 2019 के परिपत्रों (एकत्रित रुप से एमएसएमई पुनर्गठन परिपत्र के नाम से संदर्भित) के अंतर्गत पुनर्गठित नहीं किया गया हो।

❑ 30 सितंबर 2021 तक उधारकर्ता खाते के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया हो।

❑ उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन प्रभावी निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

❑ यदि उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उधारकर्ता पंजीकृत नहीं है, तो योजना को कार्यान्वित मानने के लिए पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की तारीख से पहले इस तरह के पंजीकरण को पूरा करना आवश्यक होगा।

❑ पुनर्गठन योजना के लागू होने पर, उधार देने वाले संस्थान उधारकर्ता के शेष ऋण के 10 प्रतिशत का प्रावधान रखेंगे।

❑ यह दोहराया जाता है कि उधारदाता संस्थान एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए जल्द से जल्द इन निर्देशों के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करेंगे, जो किसी भी स्थिति में इस परिपत्र की तारीख से एक महीने बाद न हो।

❑ दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेश लागू रहेंगे।

❑ कार्यान्वित पुनर्गठन योजनाओं के संबंध में, मानक के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं की परिसंपत्ति वर्गीकरण को मौजूदा वर्गीकरण में बनाए रखा जा सकता है, जबकि जो खाते 1 अप्रैल 2021 और कार्यान्वयन की तारीख के बीच एनपीए श्रेणी में चले जाते हैं, उन्हें पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की तारीख पर 'मानक आस्ति' के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है।

❑ ऐसे उधारकर्ताओं के खाते जिन्हें एमएसएमई पुनर्गठन परिपत्रों के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था, उनके लिए एक बारगी उपाय के रूप में, उधारदाता संस्थानों को, बिना इसे पुनर्गठन माने, कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन, मार्जिन में कमी, आदि के आधार पर कार्यशील पूंजी स्वीकृत सीमा और/ या आहरण शक्ति की समीक्षा करने की अनुमति दी जाती है।

❑ उपरोक्त उपाय इस पर प्रासंगिक होंगे कि ऋण देने वाले संस्थान इसकी पुष्टि करें कि कोविड-19 से आर्थिक गिरावट के कारण इसकी आवश्यकता है।

कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

ऑन-टेप मीयादी चलनिधि सुविधा

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 07 मई 2021 को देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो को 31 मार्च 2022 तक खोलने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत, बैंक, वैक्सीन उत्पादकों; टीके और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के आयातक / आपूर्तिकर्ता; अस्पताल / औषधालय; पैथोलॉजी लैब और डीयग्नोस्टिक केंद्र; ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माणकर्ता और आपूर्तिकर्ता; टीके और कोविड संबंधित दवाओं के आयातक; लॉजिस्टिक फर्मों और रोगियों के इलाज सहित कई प्रकार की संस्थाओं को नई ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। बैंकों को 31 मार्च 2022 तक इस तरह के ऋण देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र(पीएसएल) वर्गीकरण में विस्तार के माध्यम से इस योजना के तहत ऋण के त्वरित वितरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

आरआरए के सलाहकार समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) गठित की। आरआरए ने एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जो आरआरए 2.0 के संदर्भ में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में आरआरए का समर्थन करने के लिए अनुपालन अधिकारियों सहित विनियमित संस्थाओं के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अपना प्रारंभिक कार्य करने के लिए, समूह सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित करता है, जिसे 15 जून 2021 तक ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग

बैंकों पर कोविड - 19 संबंधित दबाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 05 मई 2021 को, बैंकों को उनके बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान बनाने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक उनके पास धारित अस्थायी प्रावधानों / प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

केवाईसी का आवधिक अद्यतन

देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए,रिज़र्व बैंक ने 05 मई 2021 को आरई को यह सूचित किया कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन नियत है और आज की स्थिति के अनुसार लंबित है, इस प्रकार के खातों के संचालन पर कोई प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक न लगाया जाए, जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय आदि के निदेशों के तहत आवश्यक न हो। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एसटीसीबी के साथ डीसीसीबी का समामेलन

रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2021 को सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया कि राज्यों को उनकी अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) में डिलेयरिंग पर विचार करने में मदद करने के लिए, सभी हितधारकों के ध्यान में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ समामेलन के लिए आवश्यकताओं और सांकेतिक बेंचमार्क लाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर रिज़र्व बैंक समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करेगा:

❑ जब राज्य की राज्य सरकार राज्य में एक या अधिक डीसीसीबी/एस को एसटीसीबी के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव करती है;

❑ जब समामेलन की योजना को शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है;

❑ जब नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के ऐसे प्रस्ताव की जांच और सिफारिश की गई हो;

विनियामक पात्रता

❑ प्रस्ताव, विधिक अपेक्षाओं, न्यायालयों के पिछले आदेशों/निर्णयों, यदि कोई हो, के अनुसार होना चाहिए।

❑ सांकेतिक रूप से समेकित नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समामेलित इकाई के वित्तीय मानदंड मजबूत होने चाहिए।

❑ एसटीसीबी के पास विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

❑ एसटीसीबी के पास मजबूत अभिशासन/प्रबंधन प्रथाएं होनी चाहिए।

सैद्धांतिक अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले सामान्य विचार

❑ समामेलन की योजना एसटीसीबी/डीसीसीबी के शेयरधारकों के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

❑ घटकों द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया जाएगा।

❑ सनदी लेखाकारों द्वारा समामेलित संस्थाओं की पूर्ण जांच की जाएगी।

❑ मौजूदा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन के अलावा, परिसंपत्ति की हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

❑ समामेलन के बाद एसटीसीबी को समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरएआर मानदंडों का पालन करना आवश्यक होगा।

❑ एसटीसीबी अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले सभी डीसीसीबी के साथ सिस्टम एकीकरण को सक्षम करने के लिए अपनी आईटी प्रणाली को उचित रूप से कॉन्फ़िगर करना सुनिश्चित करेगा।

❑ समामेलन के तीन महीने के भीतर समामेलित बैंक का एक नया बोर्ड गठित किया जाएगा।

❑ एसटीसीबी को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस समामेलन की प्रक्रिया के बाद भी जारी रहेगा। डीसीसीबी, जिन्हें एसटीसीबी में समामेलित किया जा रहा है, वे अपने लाइसेंस रिज़र्व बैंक को सौंप देंगे।

❑ डीसीसीबी की मौजूदा शाखाओं को एसटीसीबी की शाखाओं में परिवर्तित किया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के दायरे में आएगी।

❑ अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले एसटीसीबी द्वारा समामेलन के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

❑ रिज़र्व बैंक कोई भी अतिरिक्त शर्त/शर्तें, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, निर्धारित कर सकता है।

❑ समामेलन के प्रस्ताव जो सांकेतिक बेंचमार्क को पूरा करते हैं, उनका मूल्यांकन नाबार्ड और रिज़र्व बैंक द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा और अतिरिक्त आवश्यकताओं/शर्तों के अधीन होगा जैसा कि उपयुक्त समझा जाएगा।

समामेलन पश्चात अपेक्षाएँ

❑ समामेलन के लिए अंतिम अनुमोदन की शर्तों के संदर्भ में एक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

❑ अंतरणकर्ता बैंकों के लाइसेंस अभ्यर्पित किए जाएंगे।

प्रकटन

❑ समामेलन से पहले और बाद में पेंशन देनदारियां।

❑ समामेलन की तिथि को समामेलन करने वाले बैंकों में लंबित सतर्कता मामलों और शिकायतों की स्थिति और वर्ष के दौरान बंद किए गए मामलों का विवरण।

❑ विलय के बाद लंबित धोखाधड़ी के मामलों, बकाया अंतर-बैंक समायोजन (समामेलन/समामेलित) और अंतर-शाखा खातों और अन्य मध्यस्थ खातों की स्थिति और समामेलित बैंक के वित्तीय विवरणों पर उनका प्रभाव।

❑ शेयरों के आवंटन के संबंध में समामेलन करने वाले बैंकों और उनके सदस्यों के बकाया दावे और ऐसे दावों के निपटान के लिए समय सीमा।

❑ ऐसे अतिरिक्त प्रकटीकरण, जो नियामक/पर्यवेक्षक द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं।

पूर्ण दिशानिर्देश पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आभासी मुद्रा(वी सी) में लेन-देन के लिए समुचित सावधानी

रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2021 को बैंकों/विनियमित संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे 06 अप्रैल 2018 के आभासी मुद्राओं पर परिपत्र का उद्धरण न दें क्योंकि यह परिपत्र अब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 04 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार मान्य नहीं था। तथापि, रिज़र्व बैंक ने बैंकों/विनियमित संस्थाओं को विदेशी विप्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं के दायित्वों के लिए मानकों को अभिशासित करने वाले विनियमों के अनुरूप ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रियाओं को जारी रखना सूचित किया है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. वित्तीय समावेशन

एसएफबी द्वारा उधार देना

रिज़र्व बैंक ने 05 मई 2021 को पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और

अन्य एमएफआई (सोसाइटियों और ट्रस्टों) को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा दिए गए नए ऋण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वर्गीकरण की अनुमति दी जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के 'स्व-विनियामक संगठन' के सदस्य हैं और जिनके पास व्यक्तियों को आगे उधार देने के उद्देश्य से 31 मार्च 2021 की स्थिति में रु.500 करोड़ तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' है। उपरोक्तानुसार बैंक ऋण 31 मार्च 2021 की स्थिति में बैंक की कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो के 10% तक की अनुमति होगी। इसे कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये तथा छोटे एमएफआई की आकस्मिक चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जा रहा है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

एआईएफ में प्रायोजक अंशदान

रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2021 को निर्णय लिया कि किसी प्रायोजक भारतीय पार्टी (IP) द्वारा भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में मेज़बान देश के कानूनों के अनुसार सृजित किसी वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ़) में किए जाने वाले प्रायोजक अंशदान को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI) माना जाएगा। तदनुसार, भारतीय पार्टी (आईपी), अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी पर उल्लिखित विनियम 2(के) में यथापरिभाषित, स्वचालित मार्ग के तहत आईएफ़एससी सहित समुद्रपारीय देशों में वैकल्पिक निवेश निधियां (AIF) सृजित कर सकती है, बशर्ते वह अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 7 का अनुपालन करती हो। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंकर

सरकारी एजेंसी कारोबार

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 मई 2021 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय(एमओएफ) द्वारा सितंबर 2012 से निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कारोबार के आवंटन से संबंधित प्रतिबंध को 24 फरवरी 2021 के उनके पत्र के माध्यम से हटा दिया गया है। उपर्युक्त गतिविधियों के आधार पर, अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और संशोधित दिशा-निर्देश/फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

- ऐसे वर्तमान निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंक जिसका कि आरबीआई के साथ पहले से ही एजेंसी बैंकिंग करार है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई भी नया अनुमोदन लिए बिना केंद्र सरकार / या राज्य सरकार के लिए सरकारी एजेंसी कारोबार करते रहेंगे।
- इन वर्तमान निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंकों को नया/अतिरिक्त सरकारी एजेंसी का कारोबार करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2012 के परिपत्र के अनुसार सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक, जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एजेंसी बैंकिंग करार नहीं है किंतु सरकारी एजेंसी कारोबार का प्रबंधन/कार्य करना चाहते हैं उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ करार करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- किसी विशेष सरकारी एजेंसी कारोबार के लिए किसी एजेंसी बैंक को अधिकारिक मान्यता देने का विकल्प पूरी तरह संबंधित केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकारों पर होगा।

एक बार रिज़र्व बैंक द्वारा किसी बैंक को कोई सरकारी कारोबार के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो परिचालन का क्षेत्र और मोड (भौतिक या ई-मोड) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय (केंद्र सरकार के लिए) या राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा।

अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. भुगतान और निपटान प्रणाली

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)

रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2021 को सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं, प्रणाली प्रदाताओं और प्रणाली प्रतिभागियों को निम्नलिखित सूचित किया:

- प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं के लिए अधिकृत कार्ड नेटवर्क (कार्ड के रूप में पीपीआई के लिए) और यूपीआई (इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में पीपीआई के लिए) के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई (केवाईसी-अनुपालित पीपीआई) के धारकों को इंटरऑपरेबिलिटी देना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृति पक्ष पर भी इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य होगी;
- इंटरऑपरेबिलिटी 31 मार्च 2022 तक सक्षम हो जाएगी;
- मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए पीपीआई को इंटरऑपरेबिलिटी से छूट दी जाएगी, जबकि गिफ्ट पीपीआई जारीकर्ताओं के पास इंटरऑपरेबिलिटी की पेशकश करने का विकल्प है।
- पूर्ण-केवाईसी पीपीआई (केवाईसी-अनुपालित पीपीआई) के संबंध में बकाया अधिकतम राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है।
- गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के संबंध में नकद निकासी की सुविधा की अनुमति होगी, साथ ही प्रति लेनदेन ₹2,000 की अधिकतम सीमा के साथ प्रति पीपीआई ₹10,000 प्रति माह की समग्र सीमा के अधीन होगी।
- 27 अगस्त 2015 के परिपत्र के माध्यम से भारत में बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड का उपयोग करने वाले पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) टर्मिनलों से नकद निकासी की सीमा को सभी स्थानों पर भी (टियर 1 से 6 केंद्र) ₹10,000 की समग्र मासिक सीमा के भीतर प्रति लेनदेन ₹2,000 तक युक्तिसंगत बनाया गया है। अधिक पढ़ने के लिए,कृपया यहां क्लिक करें।

VI. केन्द्रीय बोर्ड की बैठक

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में दिनांक 21 मई 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड निदेशकों की 589वीं बैठक आभासी माध्यम से आयोजित हुई। बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की परिवर्तन अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और परिवर्तन अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को मंजूरी दी। बोर्ड ने 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखने का निर्णय लेते हुए 31 मार्च 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹99,122 करोड़ के अंतरण को भी मंजूरी दी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।